

[2022] 17 एससीआर 858

झारखंड राज्य और अन्य

बनाम

लिंडे इंडिया लिमिटेड और अन्य

(2022 की सिविल अपील संख्या 8061 - 8064)

दिसम्बर 02/2022

[न्यायमूर्तिगण एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश]

बिहार वित्त अधिनियम, 1981: धारा 13(1)(ख) - प्रतिवादी द्वारा बेची गई ऑक्सीजन गैस की पात्रता के तहत कर की रियायती दर का लाभ नंबर 1-निर्माता प्रतिवादी नंबर 2 के लिए, अगर कहा जा सकता है स्टील की निर्माण प्रक्रिया में "कच्चे माल" के रूप में उपयोग किया जाता है और बिक्री कर के 2% की दर से कर लगाया जाएगा, जो अन्यथा उसकी बिक्री पर @ 3% प्रभाय है - ट्रिब्यूनल और नीचे के अधिकारियों ने माना कि ऑक्सीजन का उपयोग स्टील बनाने में "कच्चे माल" के अलावा अन्य सामानों के रूप में किया जाता है और यह एक 'रिफाइनिंग एजेंट' है, 'रेदुसिंग एजेंट' हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि ऑक्सीजन को "कच्चा माल" कहा जा सकता है और इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर - 1 2% पर कर की रियायती दर का हकदार है - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय को निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज विशेषज्ञ सदस्यों से युक्त समिति द्वारा निष्कर्षों की सराहना करनी चाहिए थी, जिसकी पुष्टि नीचे के अधिकारियों द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन गैस का उपयोग 'रिफाइनिंग एजेंट' के रूप में किया जाता है और इसका मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है, ऑक्सीजन गैस को अंतिम उत्पाद-स्टील के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है - उच्च न्यायालय में विवादित प्रश्नों और विशेष रूप से तकनीकी पहलू को तय करने में विशेषज्ञता का अभाव है। जिसे विशेषज्ञों से मिलकर समिति पर छोड़ा जा सकता था - उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226

के तहत शक्तियों के प्रयोग में तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर दर्ज निष्कर्षों के खिलाफ अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठा है - उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत और नीचे के सभी तीन अधिकारियों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके गंभीर रूप से गलती की है - इस प्रकार, उत्तरदाता नहीं है हकदार कर की रियायती दर का जिसे @ 2% अंतिम उत्पाद के निर्माण में "कच्चे माल" के रूप में मानते हैं और उसकी बिक्री पर @ 3% कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और अलग रखा गया है - भारत का संविधान - अनुच्छेद 226।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित 1.1 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा एक निरीक्षण और जांच की गई थी जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें यह पाया गया था कि 'ऑक्सीजन गैस' इस्पात उत्पाद का प्रत्यक्ष 'कच्चा माल' नहीं है और ऑक्सीजन गैस का काम केवल 'शोधन एजेंट' का है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्सीजन का कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है और यह स्टील का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं है। एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करके और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों/साहित्य पर विचार करने के बाद, समिति ने स्टील के निर्माण और उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन गैस के कार्य के लिए विस्तृत प्रक्रिया पर विचार किया। समिति ने इस्पात विनिर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया पर भी विचार किया। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन गैस केवल एक 'रिफाइनिंग एजेंट' है और इसका मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है और इस प्रकार, ऑक्सीजन गैस को स्टील का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है। छह विशेषज्ञ सदस्यों वाली समिति द्वारा उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, मूल्यांकन अधिकारी ने एक मूल्यांकन आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी 2% की दर से कर की रियायती दर के हकदार नहीं हैं और ऑक्सीजन पर 3% कर लगाया जाना है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष, जो छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित थे, की पुष्टि उपायुक्त और उसके बाद संयुक्त आयुक्त-पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई। नीचे दिए गए तीन अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग किया है और तीन विशेषज्ञ प्राधिकरणों की रिपोर्ट को खारिज किया है, भारत का संविधान। [कंडिका-6] [870-क-घ; 872-ग-ड]

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर दर्ज निष्कर्षों के खिलाफ अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठा है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि छह सदस्यीय समिति द्वारा एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट थी, जो विस्तृत जांच और निरीक्षण के बाद और स्टील के निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करने के बाद विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऑक्सीजन का काम केवल एक 'रिफाइनिंग एजेंट' का है और इसका मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए और संयुक्त आयुक्त-पुनरीक्षण प्राधिकरण तक पुष्टि किए गए उक्त निष्कर्षों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी।

उच्च न्यायालय के पास विवादित निर्णय लेने की विशेषज्ञता का अभाव है कुछ प्रश्न और विशेषकर तकनीकी पहलू जिसे विशेषज्ञों वाली समिति पर छोड़ा जा सकता था। [कंडिका 7] [872-ड-छ]

1.3 अन्यथा भी गुण-दोष के आधार पर, समिति द्वारा दर्ज निष्कर्षों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया और संयुक्त आयुक्त-पुनरीक्षण प्राधिकरण तक पुष्टि की गई, यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या माल के प्रसंस्करण के निर्माण में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन गैस, इसे अंतिम उत्पाद-स्टील के निर्माण के लिए "कच्चा माल" कहा जा सकता है। [कंडिका 8] [872-ज; 873-क]

1.4 थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना वर्तमान केस के तथ्यों और छह विशेषज्ञ सदस्यों वाली समिति द्वारा विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों का मामला और जब यह पाया गया है कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग 'शोधन एजेंट' के रूप में किया जाता है और इसका मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है, ऑक्सीजन गैस को अंतिम उत्पाद - स्टील के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता अंतिम उत्पाद के निर्माण में "कच्चे माल" के समान मानते हुए @ 2% कर की रियायती दर के हकदार नहीं हैं और इसके लिए उत्तरदायी हैं उसकी बिक्री पर @ 3% कर का भुगतान करें। उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय देकर और नीचे के तीनों प्राधिकरणों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके गंभीर रूप से गलती की

है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है। इसके अलावा, बिहार राज्य के विभाजन से पहले, कर का भुगतान 3% पर किया जा रहा था। उस समय कोई विवाद नहीं उठाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश, पुनरीक्षण प्राधिकरण-संयुक्त तक की पुष्टि की जाती है। कमिश्नर बहाल कर दिया गया है। [कंडिका 10-12] [875-ख-च]

बिक्री कर उपायुक्त (कानून), राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम मैसर्स थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (1988) 2 एससीसी 264: [1988] 3 एससीआर 248 - पर भरोसा किया गया।

बीओसी इंडिया लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य(2009) 15 एससीसी 590: [2009] 4 एससीआर 253; भारतीय स्टेट बैंक बनाम के.एस. 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 667; कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, नई दिल्ली बनाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1989) 4 एससीसी 566: [1989] 1 अनुपूरक एससीआर 323 - संदर्भित।

#### केस लॉ संदर्भ

[2009] 4 एससीआर 253 संदर्भित कंडिका 2.3

[1989] 1 पूरक एससीआर 323 कंडिका 4.4

[1988] 3 एससीआर 248 कंडिका 10 पर भरोसा किया गया

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2022 की सिविल अपील संख्या 8061-8064।

2015 की रिट याचिका (टी) संख्या 1929, 1939, 1940 और 1941 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 03.08.2015 के निर्णय और आदेश से।

अरुणाभ चौधरी, सीनियर एडवोकेट, शांतनु सागर, अभिषेक राँय, कर्मा दोरजी, डेवेन डब्ल्यू लाचुंगपा, अनिरुद्धमा एम. सेठी, सिद्धार्थ सारथी, प्रभात आर. राज, अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेटस।

एस. गणेश, वरिष्ठ एडवोकेट, अजय अग्रवाल, राजन नारायण, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेटस।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 03.08.2015 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश और उत्तरदाताओं द्वारा पसंद की गई अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं की अनुमति दी है और वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 30.03.2015 के आदेश को रद्द कर दिया है और समिति ने तीन प्राधिकरणों द्वारा रिकार्ड किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप किया है और मांग नोटिस को भी रद्द कर दिया है और यह कहते हुए कि प्रतिवादी 2% की दर से शुल्क की रियायती दर का लाभ पाने के हकदार हैं क्योंकि ऑक्सीजन के उपयोग को इस्पात के अंतिम उत्पाद के प्रयोजन के लिए कच्चा माल कहा जा सकता है। झारखंड राज्य और अन्य प्राधिकरणों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों के लिए अग्रणी तथ्य इस प्रकार हैं:

बिहार वित्त अधिनियम, 1957 की धारा 6 के तहत एक प्रमाण पत्र (फॉर्म 6-ख) पूर्ववर्ती इंडिया ऑक्सीजन लिमिटेड के नाम पर जारी किया गया था, जिसे बाद में लिंडे इंडिया लिमिटेड के रूप में फिर से नाम दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 13 (1) (ख) के तहत दिनांक 12.04.1982 की अधिसूचना ने "कच्चे माल के आदान" के रूप में वर्गीकृत किया। हालांकि, "कच्चे माल के आदानों" के अलावा अन्य के लिए कर की दर 3% पर बनी रही। बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 8 के तहत एक प्रमाण पत्र (फॉर्म VI-ख) प्रतिवादी नंबर 2 - मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (संक्षेप के लिए, 'टाटा स्टील') के नाम पर जारी किया गया था। प्रमाण पत्र के अनुलग्नक-ख के अनुसार, "ऑक्सीजन गैस" पर कर लगाया जाना था 3%, जो प्रतिवादी नंबर 2 यहां है - टाटा स्टील ने 3% पर भुगतान करना जारी रखा।

2.1 राज्य सरकार ने दिनांक 9.9.1983 को एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें निर्देश दिया गया कि धारा 13 (1) (ख) के तहत देय कर की दर राज्य में बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसे कच्चे माल को छोड़कर जो पहले से ही किसी भी विनिर्माण से गुजर चुके हैं या उत्पादन प्रक्रिया और जो आगे संयोजन के लिए आवश्यक हैं, 2% की दर से होगी। वीडियो दिनांक 3.2.1986 की अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने "या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान" शब्द को हटा दिया।

2.2 यहां प्रतिवादी नंबर 1, जो शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माता है, ने ऑक्सीजन को प्रतिवादी नंबर 2 - टाटा स्टील को बेच दिया। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उठाया गया कर की रियायती दर के संबंध में विवाद। प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 2 - टाटा स्टील को बेची गई शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग बुनियादी ऑक्सीजन स्टील मेकिंग (बीओएस विधि) के माध्यम से स्टील के उत्पादन में "कच्चे माल" के रूप में किया गया था। आकलन प्राधिकरण ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में 2% पर ऑक्सीजन की बिक्री पर इस आधार पर विवाद किया कि इस तरह की बिक्री "कच्चे माल" की नहीं बल्कि कच्चे माल के अलावा अन्य वस्तुओं की है और इस तरह धारा 13 (1) (ख) के तहत इस तरह की बिक्री पर लागू कर की रियायती दर 3% होगी 2% के बजाय।

2.3 प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर रिट याचिका में, झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 4963/2005 को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास कोई नहीं है आधार रिट याचिका दायर करने के लिए क्योंकि कर प्रतिवादी नंबर 2 - टाटा स्टील द्वारा देय था, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन का खरीदार है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 1538/2009 और 1540/2009 का विषय था। उक्त अपीलों को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई बीओसी इंडिया लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य, (2009) 15 एससीसी 590 के मामले में। इस न्यायालय ने मामले को जांच करने और विचार करने के लिए भेज दिया कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 को बेची गई ऑक्सीजन को स्टील के निर्माण के लिए "कच्चा माल" कहा जा सकता है। मामला मूल्यांकन प्राधिकारी के पास भेज दिया गया। इसके बाद, यह जांचने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया कि क्या बेची गई शुद्ध ऑक्सीजन को 'कच्चा माल' कहा जा सकता है। छह सदस्यीय समिति द्वारा टाटा स्टील के निरीक्षण और जांच से संबंधित एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और

यह पाया गया कि 'ऑक्सीजन गैस' इस्पात उत्पादन का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं है और ऑक्सीजन का काम केवल एक शोधन एजेंट का है। यह राय दी गई कि ऑक्सीजन का मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है और इस तरह ऑक्सीजन गैस स्टील का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोहे से कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग यह कहने का आधार नहीं हो सकता है कि ऑक्सीजन स्टील का "कच्चा माल" है। 4.2.2010 की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, मूल्यांकन अधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1 को दिनांक 11.6.2010 को नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा कि ऑक्सीजन को 'रिफाइनिंग एजेंट' क्यों नहीं माना जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 के संबंध में दिनांक 1.10.2011 को कर निर्धारण आदेश पारित किया। सरकार ने इस्पात मंत्रालय ने 2004-05 और 2005-06 के दौरान यह निर्णय दिया था कि इस्पात निर्माण में ऑक्सीजन का उपयोग कच्चे माल के अलावा अन्य वस्तुओं के रूप में किया जाता है और यह एक रिफाइनिंग एजेंट, घटने वाला एजेंट है और ऑक्सीजन पर 3% कर लगाया जाना है। निर्धारण के आदेश के आधार पर, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जमशेदपुर सर्कल ने प्रतिवादी नंबर 1 लिंडे इंडिया लिमिटेड के खिलाफ दिनांक 10.10.2011 को एक डिमांड नोटिस जारी किया।

2.4 टाटा स्टील ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के माध्यम से मूल्यांकन आदेश का विरोध किया। उच्च न्यायालय ने टाटा स्टील को बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 45 के तहत अपील दायर करने के लिए आरोपित किया। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 - लिंडे इंडिया लिमिटेड ने बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 45 के तहत संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील) के समक्ष अपील दायर की। ज्वाइंट कमिश्नर ने उक्त अपील को खारिज कर दिया आदेश दिनांक 7.6.2013. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन दिनांक 30.03.2015 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका का विषय था। आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका की अनुमति दी है और नीचे के सभी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत को कम करके पिग आयरन को स्टील में परिवर्तित करना है। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करना जो अंतिम उत्पाद - स्टील के निर्माण के उद्देश्य से आवश्यक है और इसलिए ऑक्सीजन को "कच्चा माल" कहा जा सकता है और इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 2%

पर कर की रियायती दर का हकदार है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।

3. श्री अरुणाभ चौधरी, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता - झारखंड राज्य ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे के सभी तीन अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गंभीर गलती की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे सभी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि ऑक्सीजन को 'शोधन एजेंट' कहा जा सकता है और इसकी मुख्य भूमिका कार्बन सामग्री को वांछित स्तर तक कम करना है और इसलिए ऑक्सीजन में उपयोग किए जाने वाले अन्य सामानों की श्रेणी में नहीं आती है। इस्पात की विनिर्माण प्रक्रिया और छह सदस्यीय समिति द्वारा दी गई विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए, नीचे के सभी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक बनाम के.एस. विश्वनाथ, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 6671

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी गुण-दोष के आधार पर भी, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 - टाटा स्टील को बेची गई ऑक्सीजन को स्टील के निर्माण के उद्देश्य से "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है। यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन को विनिर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा कहा जा सकता है, जबकि किसी भी मामले में इसे अंतिम उत्पाद - स्टील के निर्माण के उद्देश्य से "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है बिक्री कर उपायुक्त (कानून), राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम मैसर्स थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड, (1988) 2 एससीसी 264 सहायक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त वस्तुओं जैसे विनिर्माण की प्रक्रिया में ईंधन को माल के विनिर्माण के लिए कच्चा माल नहीं कहा जा सकता।



3.4 यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, विशेषज्ञों से युक्त तथ्य-खोज समिति ने एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह विशेष रूप से पाया गया कि ऑक्सीजन गैस इस्पात उत्पादन का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं है और ऑक्सीजन का काम केवल एक शोधन एजेंट है और इसका मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है और इस तरह, ऑक्सीजन गैस स्टील का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार यह स्थिति हो जाने के बाद, 'ऑक्सीजन गैस' को इस्पात के निर्माण में "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए 3% पर कर की दर उद्ग्रहणीय होगी।

3.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में बिहार राज्य के बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजन तक शुद्ध ऑक्सीजन पर उत्तरदाताओं द्वारा 3% कर का भुगतान किया गया था और उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी समय कोई विवाद नहीं उठाया गया था। उत्तरदाताओं ने 3% पर कर की दर का भुगतान करना जारी रखा। तथापि, झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद ही विवाद उठाया गया था और उन्होंने कर की दर 3% की मांग की थी।

3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और पूर्वोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य आदेश को रद्द कर दिया जाए।

4. वर्तमान अपील का प्रतिवादियों - लिंडे इंडिया लिमिटेड और टाटा स्टील की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस गणेश द्वारा जोरदार विरोध किया गया है।

4.1 श्री एस. गणेश, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 (लिंडे इंडिया लिमिटेड) द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 (टाटा स्टील) को आपूर्ति की गई ऑक्सीजन गैस का उपयोग स्टील की निर्माण प्रक्रिया में "कच्चे माल" के रूप में किया जाता है, ताकि प्रतिवादी नंबर 1 को धारा 13 (1) (ख ) के तहत उसी पर कर की रियायती दर का भुगतान करने का हकदार बनाया जा सके। बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (झारखंड राज्य के लिए लागू)। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि ऑक्सीजन गैस का उपयोग "कच्चे माल" के रूप में किया जाता है, तो उस पर बिक्री कर का @ 2% कर लगाया जाएगा, जो अन्यथा उसकी बिक्री पर @ 3% प्रभाय है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि लिंडे इंडिया लिमिटेड द्वारा टाटा स्टील को आपूर्ति की गई ऑक्सीजन का उपयोग सीधे टाटा स्टील द्वारा स्टील बनाने के निर्माण में किया जाता है और इसलिए यह "कच्चा माल" है और परिणामस्वरूप बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 13 (1) (ख) के तहत कर की रियायती दर के लाभ का हकदार है, लागू अधिसूचना के साथ पठित झारखंड राज्य में अपनाया गया।

4.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में टाटा द्वारा स्टील के निर्माण की प्रक्रिया को बहुत विस्तार से नोट किया है। स्टील, जिसे बेसिक ऑक्सीजन स्टील विधि (बीओएस विधि) कहा जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने ऑपरेशन के दो चरणों को नोट किया है, पहला ब्लास्ट फर्नेस में ऑपरेशन और दूसरा एलडी वेसल में ऑपरेशन है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने उन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया संख्या 1 और रासायनिक प्रतिक्रिया संख्या 2 के रूप में वर्णित किया है। उच्च न्यायालय ने दोनों ऑपरेशनों में दोनों चरणों में ऑक्सीजन के उपयोग पर भी ध्यान दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस्पात बनाने में ऑक्सीजन का उपयोग "कच्चे माल" के रूप में है और "कच्चा माल" "रिफाइनिंग एजेंट" होने के लिए विरोधी नहीं है। उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि नीचे के अधिकारियों के दिमाग में यह गलत धारणा है कि एक 'रिफाइनिंग एजेंट' "कच्चा माल" नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने सही माना है कि 'रिफाइनिंग एजेंट' एक "कच्चा माल" भी हो सकता है, अगर यह अपरिहार्य, गैर-प्रतिस्थापनीय, बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाना अपरिहार्य है।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ऐसा करते हुए, इस मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर भरोसा किया है कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली बनाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (1989) 4 एससीसी 566। यह प्रस्तुत किया गया है कि के मामले में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर ) में मुद्दा यह था कि क्या कागज के निर्माण में प्रयुक्त सोडियम सल्फेट का इनपुट केवल इस तथ्य के कारण कच्चा माल नहीं रह जाएगा कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान घटक का उपभोग किया जाता है और जला दिया जाता है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने कंडिका 13 और 14 में परीक्षण के नीचे कि कानून में परिभाषा के अभाव में कच्चे माल का गठन क्या है और यह माना जाता है कि यह उन लोगों की सामान्य बोलचाल के अनुसार होगा जो इस मामले से निपटते हैं। यह

प्रस्तुत किया गया है कि पूर्वोक्त निर्णय में, यह आगे देखा गया है और माना जाता है कि निर्माण का चरण "कच्चे माल" के उपयोग के बारे में निर्णायक नहीं है।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह झारखंड राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि ऑक्सीजन का उपयोग स्टील की निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। हालांकि, यह राज्य का मामला है कि ऑक्सीजन का उपयोग 'रिफाइनिंग एजेंट' के रूप में किया जाता है, न कि "कच्चे माल" के रूप में। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इसे सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि टाटा स्टील द्वारा अपनाई गई स्टील बनाने की विनिर्माण प्रक्रिया को बीओएस विधि के रूप में जाना जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस विधि से स्टील बनाया जाता है वह बेसिक ऑक्सीजन स्टील विधि है, जाहिर है, स्टील को ऑक्सीजन के बिना नहीं बनाया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन "कच्चा माल" है जिसका उपयोग स्टील के निर्माण के लिए इस पद्धति में किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरे शब्दों में, लेकिन ऑक्सीजन के लिए, स्टील का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

4.7 अब जहां तक राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि निर्धारित एसओ नंबर 154 असर 3.2.1986 की छूट अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं है, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह का विवाद राज्य द्वारा पहले कभी नहीं उठाया गया था और इस तरह का विवाद पहली बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा है और इसलिए इस तरह के विवाद को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए पहली बार इस अदालत के सामने।

4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही इस तरह के विवाद पर विचार किया जाना हो, लेकिन इसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया है कि विचाराधीन अधिसूचना में केवल ऐसे कच्चे माल शामिल नहीं हैं जो पहले से ही किसी भी विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और जिन्हें आगे असंबली के लिए आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना में बहिष्करण खंड की स्थिति प्रकृति में संचयी है और जब तक कि बहिष्कृत कच्चे माल, जो निर्मित या संसाधित किया जाता है, का उपयोग असंबली के लिए नहीं किया जाता है, बहिष्करण खंड को ट्रिगर नहीं किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, लिंडे इंडिया लिमिटेड ने शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण/उत्पादन किया है, लेकिन इसका उपयोग टाटा स्टील द्वारा किसी भी असंबली के लिए नहीं किया

जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग रिकॉर्ड पर अच्छी तरह से प्रलेखित है और अच्छी तरह से वर्णित है और आक्षेपित निर्णय में माना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए किसी भी विधानसभा में ऑक्सीजन के उपयोग का सवाल ही नहीं उठता है, जो भी हो, प्रकृति। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए 3.2.1986 की राज्य की अधिसूचना का तर्क असमर्थनीय है।

4.9 अब जहां तक टाटा स्टील द्वारा अनुलग्नक ख में घोषणा के संबंध में राज्य के तर्क का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विवाद पहले राज्य द्वारा पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी के पहले दौर में उठाया गया था, जिसका समापन इस मामले में इस न्यायालय के फैसले में हुआ था। बीओसी इंडिया लिमिटेड (ऊपर)। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से राज्य की ऐसी आपत्ति को खारिज कर दिया था जो अनजाने में गलत घोषणा पर आधारित थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने देखा कि इस संबंध में कोई निषेध या स्थगन नहीं है और इस मामले को उसी से स्वतंत्र माना जाना आवश्यक है।

4.10 श्री एस. गणेश, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया है कि राज्य द्वारा उठाया गया विवाद कि ऑक्सीजन का उपयोग 'रिफाइनिंग एजेंट' के रूप में किया जाता है और "कच्चे माल" के रूप में नहीं किया जाता है, निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है,

i) रिफाइनिंग एजेंट और कच्चे माल परस्पर अनन्य नहीं हैं या एक दूसरे के विपरीत। एक विशेष उत्पाद कच्चा माल हो सकता है, भले ही वह एक शोधन एजेंट भी हो;

ii) यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई विशेष उत्पाद कच्चा माल है, परीक्षण विनिर्माण प्रक्रिया में उक्त उत्पाद की अनिवार्यता है। यदि अंतिम उत्पाद नहीं हो सकता है किसी विशेष उत्पाद के उपयोग के बिना निर्मित, वही निश्चित रूप से एक कच्चे माल का गठन करेगा;

iii) कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद के महत्व को देखा जाना चाहिए। उत्पाद का महत्व इस तथ्य में निहित है कि अंतिम उत्पाद में इसकी अनुपस्थिति में नहीं बल्कि इसकी उपस्थिति प्रक्रिया का वितरण अंत;

iv) उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1000 किलोग्राम स्टील के निर्माण के लिए 70 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह किसी भी तरह से नगण्य मात्रा नहीं है;

v) कच्चे माल की अपरिवर्तनीयता पर विचार किया जाना है। वर्तमान मामला, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में ठीक ही उल्लेख किया है, ऑक्सीजन गैस के उपयोग को तत्वों की आवर्त सारणी से किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है;

vi) कच्चे माल के उपयोग पर ध्यान दिया जाना है। का कार्य वर्तमान मामले में ऑक्सीजन कार्बन के प्रतिशत को कम करने के लिए है, ताकि पिग आयरन से स्टील बनाया जा सके। पिग आयरन में कार्बन का प्रतिशत जितना अधिक होता है, वह स्टील से उतना ही दूर होता है। पिग आयरन से कार्बन के प्रतिशत में कमी पिग आयरन को स्टील में परिवर्तित करती है;

vii) कच्चे माल का कार्य ही- वर्तमान मामले में, कच्चा माल न केवल कच्चे लोहे को स्टील में बदल रहा है, बल्कि यह स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। क्या ऑक्सीजन का कार्य केवल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं विनिर्माण प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है; और

viii) कच्चे माल का अनुप्रयोग। वर्तमान मामले में, ऑक्सीजन को उच्च दबाव के साथ इंजेक्ट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन गैस अर्ध तरल पदार्थ, यानी पिग आयरन में प्रवेश करे, जिसमें से स्टील का निर्माण किया जाता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए वर्तमान मामले में ऑक्सीजन का उपयोग "कच्चा माल" है और प्रतिवादी लिंडे इंडिया लिमिटेड से टाटा स्टील द्वारा ऑक्सीजन की खरीद पर 2% की रियायती दर पर कर की रियायती दर के हकदार हैं क्योंकि इसका उपयोग "कच्चे माल" के रूप में किया जा रहा है।

4.11 अब तक के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता के रूप में थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (ऊपर) जहां तक राज्य की ओर से विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए जाने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय किसी भी तरह से राज्य के

मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। उक्त निर्णय पर पहले ही विचार किया जा चुका था और इस न्यायालय द्वारा बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर)।

4.12 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर), वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।

इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 को आपूर्ति की गई ऑक्सीजन गैस का उपयोग स्टील की निर्माण प्रक्रिया में "कच्चे माल" के रूप में किया जाता है, ताकि प्रतिवादी नंबर 1 को बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 13 (1) (ख) के तहत उसी पर कर की रियायती दर का भुगतान करने का अधिकार दिया जा सके। यह ध्यान दिया जा सकता है कि केवल ऐसे मामले में जहां ऑक्सीजन गैस का उपयोग "कच्चे माल" के रूप में किया जाता है, उसी पर बिक्री कर के 2% की दर से कर लगाया जाएगा, जो अन्यथा उसकी बिक्री पर @ 3% प्रभाय है।

5.1 एक और प्रश्न जो विचार के लिए है, क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के निरीक्षण और जांच से संबंधित एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट, जिस पर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा यह मानते हुए भरोसा किया गया था कि ऑक्सीजन गैस एक 'शोधन एजेंट' है, पुनरीक्षण प्राधिकरण की पुष्टि करते हुए, क्या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे के सभी तीन अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को परेशान करने के लिए खुला था?

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के अनुसार, इस मामले को इस सवाल पर विचार करने के लिए भेज दिया गया था कि क्या ऑक्सीजन गैस स्टील के निर्माण के लिए एक "कच्चा माल" है। कि उसके बाद रिमांड पर छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा निरीक्षण और जांच की गई, जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह पाया गया कि ऑक्सीजन गैस स्टील उत्पाद का प्रत्यक्ष 'कच्चा माल' नहीं है और ऑक्सीजन गैस का काम केवल 'रिफाइनिंग एजेंट' का है।

रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्सीजन का कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है और यह स्टील का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं है। एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करके और संबंधित दस्तावेजों/साहित्य पर विचार करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा, समिति ने स्टील के निर्माण और उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन गैस के कार्य के लिए विस्तृत प्रक्रिया पर विचार किया। समिति ने इस्पात विनिर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया पर भी विचार किया। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन गैस केवल एक 'रिफाइनिंग एजेंट' और इसका मुख्य कार्य कार्बन सामग्री को कम करना है आवश्यकता के अनुसार और इसलिए ऑक्सीजन गैस को स्टील का प्रत्यक्ष "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है। ऐसा मानते हुए, समिति ने निम्नानुसार विश्लेषण किया:

"इस मामले को अच्छी तरह से समझने के लिए, पहले इसके अयस्क और मिश्र धातु से लोहे के निष्कर्षण पर चर्चा करना आवश्यक है। शुरुआत में, टाटा स्टील लिमिटेड अपनी ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर और कोक के साथ मिलाकर लौह अयस्क (लोहे का ऑक्साइड) का गर्म हवा का विस्फोट करता है। आयरन ऑक्साइड विभिन्न तापमान श्रेणियों में कम हो जाता है। इस ब्लास्टिंग का मुख्य उद्देश्य लौह अयस्क से ऑक्सीजन निकालना है। इस प्रक्रिया में लौह अयस्क से ऑक्सीजन हटा ली जाती है लेकिन कार्बन की मात्रा अनुमत सीमा से अधिक हो जाती है। इस भट्टी से प्राप्त पिघला हुआ लोहा जिसे पिग आयरन कहा जाता है। मैसर्स टाटा स्टील को इस स्तर तक मैसर्स बीओसी से खरीदी गई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इस भट्टी में सिलिका अशुद्धियों को दूर करने के लिए चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है और लौह अयस्क से ऑक्सीजन निकालने के लिए कोक का उपयोग किया जाता है।

इस ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त पिघले हुए लोहे में कार्बन की मात्रा 4% तक रह सकती है। कार्बन की अधिक मात्रा, यह बहुत कठोर और भंगुर है। अन्य अशुद्धियाँ (जैसे- एसपी एसआई, एमजी) पिघले हुए लोहे में मिश्रित पाई जाती हैं। इसे परिष्कृत करने के लिए, मैसर्स टाटा स्टील अपने एल.डी. कनवर्टर में शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग करता है। मैसर्स बी.ओ.सी, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के स्टील मेकिंग हेडिंग (अनुलग्नक क/4) में, इसे रिफाइनिंग कहा जाता है प्रक्रिया, और इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन सामग्री को कम करना है। वही रिफाइनिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त शुद्ध ऑक्सीजन को मैसर्स टाटा स्टील और मैसर्स बीओसी द्वारा कच्चा माल कहा जाता है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लोहे के निष्कर्षण में कच्चे माल के रूप में शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोधन प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है।

यह विचार करने से पहले कि प्रयुक्त ऑक्सीजन कच्चा माल है या नहीं, स्टील के विभिन्न अवयवों पर विचार करना आवश्यक है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि स्टील और कुछ नहीं बल्कि आयरन के मिश्र धातु है और मिश्र धातु भोजन या गैर-धातु जोड़कर सामग्री के गुणों में सुधार करने की विधि है। लोहे के विभिन्न मिश्र धातु नीचे दिए गए हैं: -

लोहा + कार्बन (.1 से 1.5%) = स्टील

लोहा + कार्बन + क्रोमियम + निकल = स्टेनलेस स्टील = साइकिल, बर्तन, कलम आदि के लिए उपयोग किया जाता है।


लोहा + निकल + एल्यूमीनियम + सह = अलनिको - स्थायी चुंबक के लिए

आयरन + क्रोमियम = क्रोम - उपकरण काटने और मशीन को कुचलने के लिए उपयोग किया जाता है।

लोहे का उपयोग शुद्ध रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि यह गर्म करने पर नरम और आसानी से फैला हुआ है, हालांकि, अगर इसमें 0.1 + 1.5% कार्बन मिलाया जाता है, तो यह कठोर और मजबूत हो जाता है और उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस शोधन प्रक्रिया में, स्लैग (एसआईओ 2P 2 O 5 ) बनता है जो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण अवांछित अपशिष्ट उत्पाद है और लक्षित उत्पाद नहीं है। इसलिए, इस आधार पर भी, ऑक्सीजन को इसके अंत का घटक नहीं माना जा सकता है उत्पाद स्टील।

यह समझने के लिए कि ऑक्सीजन स्टील का कच्चा माल है या नहीं, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया को देखना आवश्यक है? वैद्युत अपघटन



इसका अर्थ है, धारा पारित करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हमें "हाइड्रोजन और ऑक्सीजन" देता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, एच<sub>2</sub>एसओ<sub>4</sub> (सल्फ्यूरिक एसिड) की कुछ बूंदों को मिश्रण करना आवश्यक है एच<sub>2</sub>एसओ<sub>4</sub> (सल्फ्यूरिक एसिड) इस प्रकार, केवल इसी आधार पर हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन का कच्चा माल नहीं रखा जा सकता।



इसी प्रकार, लोहे से कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग यह कहने का आधार नहीं हो सकता है कि ऑक्सीजन स्टील का कच्चा माल है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मैसर्स टाटा स्टील द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन केवल एक रिफाइनिंग एजेंट है, जिसका मुख्य कार्य आवश्यकताओं के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन स्टील का प्रत्यक्ष कच्चा माल नहीं है। बेशक, इसका उपयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष कच्चे माल की श्रेणी में नहीं आता है और इसे इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री की श्रेणी में रखा गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर छह विशेषज्ञ सदस्यों से मिलकर, मूल्यांकन अधिकारी ने एक मूल्यांकन आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि उत्तरदाता 2% की दर से कर की रियायती दर के हकदार नहीं हैं और ऑक्सीजन पर 3% कर लगाया जाना है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष जो छह सदस्यीय विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित थे। समिति की पुष्टि उपायुक्त द्वारा और उसके बाद संयुक्त आयुक्त - पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा की गई। नीचे के तीन अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए परेशान किया है।

7. कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर दर्ज निष्कर्षों के खिलाफ अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठा है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि छह सदस्यीय समिति द्वारा एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट दी गई थी जिसने विस्तृत जांच और निरीक्षण के बाद स्टील का निर्माण विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऑक्सीजन का काम केवल एक 'रिफाइनिंग एजेंट' का है और इसका मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए और संयुक्त आयुक्त-पुनरीक्षण प्राधिकरण तक पुष्टि किए गए उक्त निष्कर्षों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय के पास विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेने की विशेषज्ञता का अभाव है और विशेष रूप से तकनीकी पहलू जो विशेषज्ञों की समिति पर छोड़ा जा सकता था।

8. अन्यथा भी गुण-दोष के आधार पर भी, समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए और संयुक्त आयुक्त - पुनरीक्षण प्राधिकारी तक की पुष्टि की गई, यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या माल के प्रसंस्करण के निर्माण में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन गैस, इसे अंतिम उत्पाद - स्टील के निर्माण के लिए "कच्चा माल" कहा जा सकता है।

9. उच्च न्यायालय के साथ-साथ उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील ने इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत भरोसा किया है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर ) , विशेष रूप से कंडिका ग्राफ 13 और 14 में की गई टिप्पणियां। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, सवाल यह था कि क्या कागज के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सोडियम सल्फेट का इनपुट केवल इस तथ्य के कारण "कच्चा माल" नहीं रह जाएगा कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इस घटक का उपभोग किया जाता है और जला दिया जाता है। पूरी विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने कंडिका ग्राफ 14 में कहा कि कागज के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सोडियम सल्फेट को "कच्चा माल" कहा जा सकता है। ऐसा मानते हुए, कंडिका ग्राफ 14 में यह निम्नानुसार देखा गया था:

"14. किसी भी अंतिम उत्पाद के निर्माण की रासायनिक प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली सामग्री में दूसरों के बीच शामिल हो सकते हैं, जो पूरी प्रक्रिया में और अंतिम उत्पाद में भी अपनी प्रमुख व्यक्तिगत पहचान और चरित्र को बनाए रख सकते हैं; जो, अन्य रसायनों या अवयवों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप, स्वयं रासायनिक या गुणात्मक परिवर्तनों से गुजर सकते हैं और इस तरह के परिवर्तित रूप में खुद को अंतिम उत्पाद में पाते हैं; वे, जो उत्प्रेरक एजेंटों की तरह, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित और तेज करते हुए, हालांकि, स्वयं अप्रभावित और अपरिवर्तित रह सकते हैं और अंतिम उत्पादों के बाहर और बाहर स्वतंत्र रह सकते हैं और वे, जैसा कि यहां है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जला दिया जा सकता है या उपभोग किया जा सकता है। वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या अंतिम उल्लिखित वर्ग के तत्व खुद को योग्य बनाते हैं और अंतिम उत्पाद के लिए "कच्चा माल" कहलाने के योग्य हैं। वैध परीक्षणों में से एक, हमारी राय में, यह हो सकता है कि वांछित अंत उत्पाद के उद्भव में समापन करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं से घटक इतना आवश्यक होना चाहिए, कि प्रक्रिया के लिए इसके महत्व और अपरिहार्यता के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि जलने पर इसकी बहुत खपत कच्चे माल के रूप में इसकी गुणवत्ता

और मूल्य है। ऐसे मामले में, प्रासंगिक परीक्षण अंतिम उत्पाद में इसकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के वितरण अंत में इसकी आवश्यक उपस्थिति के लिए अंतिम उत्पाद की निर्भरता है। घटक अंतिम उत्पाद के निर्माण में जाता है। इस अर्थ में कि इसकी अनुपस्थिति के बिना अंतिम उत्पाद की उपस्थिति, जैसे, असंभव प्रदान की जाती है। इस गुणवत्ता को इस आवश्यकता के साथ मिलना चाहिए कि इसका उपयोग विनिर्माण तंत्र से अलग विनिर्माण प्रक्रिया में है।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर भी आकर्षित किया गया था थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (ऊपर ) और वास्तव में राजस्व की ओर से सेवा में दबाया गया। हालाँकि, उक्त निर्णय इस न्यायालय द्वारा कंडिका ग्राफ 15 में निम्नानुसार अवलोकन करते हुए प्रतिष्ठित किया गया:

“15. में इस न्यायालय का निर्णय उप सीएसटी बहुत। थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड [(1988) 2 एससीसी 264, 267 कंडिका 9: 9:8 एससीसी (टैक्स) 190: जेटी (1988) 1 एससी 631, 634] श्री गांगुली द्वारा भरोसा किया गया, वास्तव में अपीलकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। उसमें इस आशय की टिप्पणियां कि उपभोग कच्चे माल या अन्य घटक के विनिर्माण में होना चाहिए जो अंत के निर्माण में जाते हैं। उत्पाद” (एससीसी पृष्ठ 267, कंडिका 9) को सिरेमिक को गर्मी उपचार प्रदान करने के लिए भट्ठा के लिए उपयोग किए जाने वाले "ईंधन" के बीच अंतर पर जोर देने के लिए बनाया गया था और वास्तव में इस तरह के सिरेमिक के निर्माण में क्या गया था। टिप्पणियां, सही ढंग से समझी गईं, खुद को इस समझ के लिए उधार नहीं देती हैं कि किसी चीज के लिए खुद को एक "कच्चे माल" के रूप में अर्हता प्राप्त करें, यह आवश्यक रूप से और सभी मामलों में जाना चाहिए, और अंतिम उत्पाद में पाया जाना चाहिए।

इस प्रकार, के मामले में इस न्यायालय का निर्णय थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर ) और इसलिए इस का निर्णय के मामले में अदालत थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (ऊपर) फिर भी एक अच्छा कानून है। के मामले में थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (ऊपर), यह वर्तमान मामले की तरह ईंधन का मामला था जिसका उपयोग भट्ठे के लिए सिरेमिक को गर्मी उपचार प्रदान करने के लिए किया गया था और वास्तव में

ऐसे सिरेमिक के निर्माण में क्या गया था। के मामले में थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (ऊपर) , काजू के गोले को भट्ठे में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह पाया गया कि काजू के गोले अंतिम उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुए। माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग नहीं किया गया था और यह पाया गया था कि इनका उपयोग केवल निर्धारित द्वारा माल के निर्माण में सहायता के रूप में किया गया है। इसके लिए यह देखा गया कि खपत कच्चे माल या अन्य घटकों के निर्माण में होनी चाहिए जो अंतिम उत्पाद के निर्माण में जाते हैं। यह पाया गया कि काजू के गोले अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। यह देखा गया कि सहायक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान जैसे निर्माण की प्रक्रिया में ईंधन केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 5-क (1) (क) के अंतर्गत नहीं आता है और इसे "कच्चे माल" के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

10. के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना थॉमस स्टीफन एंड कंपनी लिमिटेड (ऊपर ) मामले के तथ्यों और विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज छह विशेषज्ञ सदस्यों वाली समिति द्वारा निष्कर्षों के लिए और जब यह पाया गया है कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग 'शोधन एजेंट' के रूप में किया जाता है और इसका मुख्य कार्य आवश्यकता के अनुसार कार्बन सामग्री को कम करना है, तो ऑक्सीजन गैस को अंतिम उत्पाद - स्टील के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला "कच्चा माल" नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता अंतिम उत्पाद के निर्माण में "कच्चे माल" के समान मानते हुए @ 2% कर की रियायती दर के हकदार नहीं हैं और इसकी बिक्री पर @ 3% कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय देकर और नीचे के तीनों प्राधिकरणों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके गंभीर रूप से गलती की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है।

11. इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिहार राज्य के विभाजन से पहले, कर का भुगतान 3% पर किया जा रहा था। उस समय कोई विवाद नहीं उठाया गया था।

12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है और रद्द किया जाता है और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश, पुनरीक्षण प्राधिकारी - संयुक्त आयुक्त तक की पुष्टि की जाती है।

तदनुसार, वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाती है। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।